131/

संख्याः 606 /उन्तीस(2)/12–2(14पे0)/2006

प्रेषक,

जी0 बी0 ओली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 13 अगस्त, 2012

विषयः राज्य सैक्टर की नगरीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में जनपद देहरादून की इन्दिरा नगर पुनर्गठन पेयजल योजना के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 264/उन्तीस (2)/05–2 (14पे0) 2006 दिनांक 16–03–2006 के द्वारा ₹ 449.25 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही ₹ 90.00 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गई। तत्पश्चात् शासनादेश संख्याः 2493 उन्तीस (2)/06–2 (60पे0) 2006 दिनांक 13–11–2006 द्वारा ₹ 40.00 लाख, शासनादेश संख्याः 2711उन्तीस (2)/06–2 (60पे0) 2006 दिनांक 06–02–2007 द्वारा ₹ 05.00लाख, शासनादेश संख्याः 386/उन्तीस (2)/07–2 (60पे0) 2007 दिनांक 04–05–2007 द्वारा ₹ 35.00 लाख, शासनादेश संख्याः 1169 उन्तीस (2)/10–2 (14पे0) 2006 दिनांक 14–09–2011 द्वारा ₹ 180.00 लाख, इस प्रकार अब तक कुल ₹ 350.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

आपके पत्र संख्या 792/नियोजन अनुभाग/धनावंटन प्रस्ताव/40 दिनांक 19–05–2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य सैक्टर नगरीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद देहरादून की निमार्णाधीन इन्दिरा नगर पुर्नगठन पेयजल योजना में ₹ 25.00 लाख (₹ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

(i) उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में दो बराबर किश्तों में, पूर्व किश्त के पूर्ण उपयोग के बाद ही दूसरी किश्त की धनराशि आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.12.2012 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) कराये जाने वाले कार्यो पर वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007, दिनांक 22.05.08 के अनुसार सेन्टेज प्रभार अनुमन्य होगा।

(iv) व्यय करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन कड़ाई से किया जाय।

(v) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(vii) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

क्रमशः...2...

(viii) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ix) उक्त योजनाओं से सम्बन्धित स्वीकृत पूर्व शासनादेशा में उल्लिखित सभी शर्ते यथावत् रहेंगी।

(x) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(xi) यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हों, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

(xii) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV– 219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय/कार्य करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(xiii) उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माणाधीन योजनाओं पर पूर्व में धनावंटन से सम्बन्धित शासनादेशों में उल्लिखित शेष सभी शर्ते यथावत् रहेंगी।

2–धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्याः H 1208130847 दिनांक 08–08–2012 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3–उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक"4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत व्यय–01–जलपूर्ति– आयोजनागत –101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–03– नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण –35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे" डाला जायेगा ।

4–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 518/XXVII(2)/2011, दिनांक 07 अगस्त, 2012 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(जी0 बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0 6060/उन्तीस(2)/12–2(14पे0)/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 पेयजल मंजी जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2–स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
3–निजी सचिव–सचिव पेयजल को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4–महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
6–जिलाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
7–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड, देहरादून।
9–निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून ।
11– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
12–वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग/वित्त बजट सैल।
13–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।